

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 697/2025

In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 837/2025
URN: CRLAS / 1727U / 2025

1. Vishnu Kumar S/o Dharmpal, Aged About 30 Years, Resident Of- Rajawali, Police Station-Bhavwala, District-Fajilka (Punjab) At Present Rental House Motor Market Mandi Aadampur, Police Station-Mandi Aadampur, District-Hisar (Haryana). (Presently Accused Confined In Central Jail At Kota)
2. Rohtash S/o Veer Singh, Aged About 34 Years, Resident Of Shishwal, Police Station- Mandi Aadampur, District-Hisar (Haryana) (Presently Accused Confined In Central Jail At Kota)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Rajendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	: Mr. Sudesh Kumar Saini with Mr. Gaura Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

15/07/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विष्णु कुमार एवं रोहताश की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, (एन0डी0पी0एस0 प्रकरण) भवानी मंडी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भवानी मंडी, जिला झालावाड़ (राजस्थान) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—22/2020, राजस्थान राज्य बनाम विष्णु कुमार एवं अन्य में पारित

निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.03.2025** के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण अपीलार्थी/अभियुक्त विष्णु कुमार दिनांक 29.11.2019 से दिनांक 07.08.2023 तक तथा अपीलार्थी/अभियुक्त रोहिताश दिनांक 29.11.2019 से दिनांक 09.06.2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तथा उसके पश्चात् अपील के निर्णय दिनांक 11.03.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त विष्णु की अभिरक्षा अवधि करीब 05 वर्ष से अधिक तथा अपीलार्थी/अभियुक्त रोहिताश की अभिरक्षा अवधि भी करीबन 05 वर्ष की हो चुकी हैं। उनका यह भी तर्क है कि जब्ती अधिकारी द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। अपीलार्थी/अभियुक्त पक्ष की ओर से गवाह डी0डब्ल्यू-1 रिसाल सिंह को भी परीक्षित कराया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन—विश्लेषण नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अन्य सह—अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेन्द्र का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या—380/2026 दिनांक 05.03.2026 को समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील में उनके दोषमुक्त होने बाबत् सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध कर, इसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों—वितर्कों पर मनन किया, विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अन्य अपीलार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या—380/2026 दिनांक 05.03.2026 को समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अपीलार्थी/अभियुक्त विष्णु की अभिरक्षा अवधि पांच वर्ष से अधिक की तथा रोहिताश की अभिरक्षा अवधि लगभग पांच वर्ष की हो चुकी है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की उक्त अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. विष्णु कुमार पुत्र श्री धर्मपाल एवं 2. रोहिताश पुत्र श्री वीर सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/18